

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

02.02.2024

पत्रावली पेश हुई।  
प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1, 7, 11, 12 व 14 के अधिवक्ता उपस्थित।  
शेष विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिली अनुपस्थित।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की संयुक्त एवं अविभाजित खातेदारी की भूमि मौजा गूंगा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 141 रकबा 48.8859 हैक्टेयर की आयी हुई है, जिसमें पक्षकारान् के राजस्व रेकर्ड में हिस्से खुले हुए है। उक्त विवादित आराजी में माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 16.10.2023 को प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलदाजी नहीं करने तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। विप्रार्थीगण द्वारा दौराने दावा विवादित आराजी में से कुछ हिस्सा कम्पनी को लीज पर दिया गया है, जो कि कानूनन सही नहीं है। विप्रार्थी संयुक्त खातेदारी की आराजी में आगे भी अजनबी क्रेताओं को बैचान करने पर आमादा है, यदि अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को इससे अपूर्ण्य क्षति होगी, क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकती। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि पूर्व में दिनांक 16.10.2023 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद जारी रखा जावे।

इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 14 के अधिवक्ता की बहस है कि हमारे द्वारा उक्त विवादित आराजी में विप्रार्थी संख्या 2 से 6 तथा विप्रार्थी संख्या 8 से 10 से अपने सम्पूर्ण विधिक खातेदारी हिस्से का हस्तांतरण विप्रार्थी की अधिकृत कम्पनी के पक्ष में निष्पादित करवाया गया है। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्यों को छुपाते हुए एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश पारित करवाया गया है, जो विधि विरुद्ध तथ्यों पर आधारित है। उक्त स्थगन आदेश से विप्रार्थी कम्पनी के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है तथा नामांतरकरण की प्रक्रिया बाधित होने से राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं हो पा रहा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि विप्रार्थी संख्या 14 विवादित आराजी का रेकर्ड खातेदार होने एवं अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग व उपभोग करने का विधिक अधिकारी होने से पूर्व में दिनांक 16.10.2023 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को समाप्त करते हुए विप्रार्थी संख्या 14 को राजस्व रेकर्ड में नामांतरकरण पारित करवाने की अनुमति प्रदान की जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में वर्णित विवादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में दिनांक 16.10.2023 को राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय का अंतरिम स्थगन प्रभावी है। वर्तमान में विप्रार्थी संख्या 14 द्वारा भूमि अपने पक्ष में निष्पादित करवाने पर हितबद्ध खातेदार होने से राजस्व रेकर्ड में नामांतरकरण दायर किया जाकर अमलदरामद किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त स्थिति में विप्रार्थी संख्या 14 को राजस्व रेकर्ड में नामांतरकरण पारित करवाने हेतु छूट दी जाकर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद जारी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा गूंगा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 141 रकबा 48.8859 हैक्टेयर भूमि में विप्रार्थी संख्या 14 को राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हेतु नामांतरकरण पारित करवाने हेतु अनुमति प्रदान की जाकर पूर्व में दिनांक 16.10.2023 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलदाजी नहीं करने, नव निर्माण कार्य नहीं करने तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के स्थगन आदेश को ताफैसला वाद कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

२५  
सहायक कलक्टर  
शिबि (SDQ) बिक्रमेश्वर